दैनिक जागरण
सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है, जो हम आज बनाते हैं

झूठ की राजनीति

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को भी जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का जरिया बनाकर लोगों को सड़कों पर उतारा जा रहा है उससे यही पता चल रहा कि सरकार दुष्प्रचार की राजनीति की काट करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। वास्तव में इसी कारण उस एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को भी नागरिकता कानून और साथ ही एनपीआर से नत्थी करने का सुनियोजित अभियान जारी है जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री यह कह चुके हैं कि अभी तो उसके बारे में कोई फैसला ही नहीं लिया गया। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन फिलहाल तो झूठ की राजनीति ही बेलगाम है। यह राजनीति इस कदर बेलगाम है कि सेना प्रमुख की इस सीधी-सच्ची बात पर भी विलाप किया गया कि हिंसा भड़काने वाले नेता नहीं कहे जा सकते। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस समेत अन्य दलों और साथ ही किस्म-किस्म के तमाम गैर राजनीतिक संगठनों की ओर से पहले तो यह माहौल बना दिया गया कि नागरिकता कानून में संशोधन करके सरकार ने कोई घोर संविधान विरोधी काम कर दिया है और फिर यह कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के साथ ही उसके खिलाफ सड़क पर उतरना भी जरूरी है। विचित्र केवल यह नहीं कि संसद से पारित कानून को संविधान की दुहाई देते हुए सड़क पर खारिज करने की जिद की जा रही है, बल्कि यह भी है कि 2016 में जब नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था तो किसी ने हल्ला-हंगामा करने की जरूरत नहीं समझी थी। आज स्थिति यह है कि जिसे देखो वही आसमान सिर पर उठाए है।

सरकार विरोधी धारणा के निर्माण का काम किस सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका पता इससे भी चलता है कि असम में जिस कांग्रेस ने डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू किए उसी ने मोदी सरकार पर यह तोहमत मढ़ने में संकोच नहीं किया कि ये सेंटर तो वह बना रही है। इसी तरह जिस कांग्रेस ने 2010 में एनपीआर तैयार कराया वही अब कुछ ऐसा प्रदर्शित कर रही है जैसे मोदी सरकार कोई नया-अनोखा काम करने जा रही है। एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार यह रेखांकित किया गया कि एनपीआर के बाद एनआरसी लाया जाएगा। आखिर सरकार और साथ ही भाजपा धारणा के इस खेल में पिछड़ती क्यों दिख रही है? उसे इससे भी चिंतित होना चाहिए कि नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर पर उसके तर्कों के आगे वे लोग अपना खेल खेलने में सक्षम क्यों हैं जो कुतर्कों का सहारा लेने में लगे हुए हैं?

ताकि सुरक्षित रहे जान

झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राजधानी रांची समेत धनबाद, गुमला, पलामू, साहिबगंज, लातेहार, रामगढ़, बोकारो आदि जिलों में बीते कुछ दिनों के दौरान दर्जन भर से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। बीते गुरुवार को ही रांची का अधिकतम तापमान नीचे लुढ़क कर 3.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। तापमान में अगले कुछ और दिनों तक गिरावट जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञानियों ने जारी किया है। साथ ही राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश होने एवं शीतलहर का प्रकोप रहने की संभावना भी जताई गई है। गौरतलब है कि राज्य में कड़ाके की ऐसी ठंड की स्थिति साल 2008 में देखी गई थी। यह स्थिति आम जनमानस के अलावा गरीबों के लिए दुरुह है। उनकी जान सांसत में है। दरअसल बीते दिनों राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अधिसूचना जारी थी। इसके चलते राज्य के जिलों में ठंड से बचाव के लिए होने वाली प्रशासनिक गतिविधियां थमी हुई थीं। नतीजतन प्रशासन की ओर से अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था में खर्च होने वाला फंड जारी नहीं हो पा रहा था। जिसका सीधा असर राज्य के विभिन्न जिलों में देखने को मिला। ठंड की चपेट में आकर लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 29 दिसंबर को नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। चुनाव की अधिसूचना भी खत्म हो चुकी है। अब ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि गरीबों के हित में ठंड से बचाव के कारगर उपाय न किए जा सकें। ऐसे में राज्य के प्रशासनिक अमले को चाहिए कि वह ठंड की विभीषिका के मद्देनजर जल्द से जल्द राज्य भर के विभिन्न जिलों में अधिक से अधिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। साथ ही राज्य के निकाय भी अपनी जिम्मेदारी को कारगर ढंग से निभाएं। ताकि ठंड का शिकार होकर सड़क पर किसी की जान न जाए। दरअसल अलाव के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जहां प्रशासन की है। वहीं इसे विभिन्न स्थानों पर जलाने के लिए अपने ट्रैक्टरों से पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ऐसे में यदि दोनों मिलकर इस दिशा में संयुक्त रूप से उपक्रम करें तो आम जनता, विशेष कर गरीबों की जान सुरक्षित हो सकती है। रैन बसेरों की स्थिति भी तत्काल दुरुस्त कराई जानी चाहिए। उनमें जरूरतमंदों को ही स्थान मिले न कि अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले वहां काबिज रहें।

चुनाव की अधिसूचना खत्म हो गई है। जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही हो वहां जल्द से जल्द अलाव के लिए प्रशासन को फंड की व्यवस्था करनी चाहिए

दोराहे पर ही खड़ी कांग्रेस

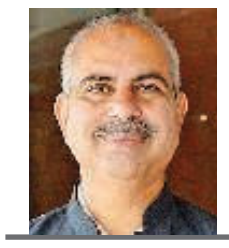

रशीद किदवई

राहुल के लिए फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तो आसान है, लेकिन उसके साथ इंसाफ कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वह इस चुनौती का सामना करने को तैयार हैं?

कांग्रेस अपना 135वां स्थापना दिवस एक ऐसे समय पर मना रही है जब वह विचारधारा और नेतृत्व, दोनों मामलों में दोराहे पर खड़ी है। विचारधारा का मामला तो महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन कर सरकार बनाने के बाद से थोड़ा नरम पड़ गया है, किंतु नेतृत्व का मामला अभी भी उलझा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए उत्सुक नजर आती हैं, वहीं आम कांग्रेसी नेताओं में एक ऐसी सोच है कि अभी सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाले रहें। कांग्रेसी नेताओं का यह भी मानना है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के बाद ही कांग्रेस के नेतृत्व के मुद्दे को देखने और समझने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली में अगले महीने ही विधानसभा हो सकते हैं।

आज कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची है उसका एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए कांग्रेसी नेता इस बात के लिए तो बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं कि वह राहुल गांधी को ही दोबारा अपना अध्यक्ष चुन लें, लेकिन इसके साथ ही वे राहुल गांधी के कामकाज करने के तौर-तरीके में थोड़ा बदलाव भी देखना चाहते हैं। उनकी एक एक उम्मीद यह भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति का निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं?

दरअसल कांग्रेस में कार्य समिति के चुनाव हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। वर्ष 1991 में जब पीवी नरसिंह राव कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने तिरुपति में अप्रैल 1992 में चुनाव कराए थे। इसके अलावा दूसरी बार सीताराम केसरी ने कोलकाता में अगस्त 1997 में कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव कराए थे। कांग्रेस जन यह चाहते हैं कि कार्य समिति के चुनाव के जरिये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका तय हो जानी चाहिए। खासतौर से उन नेताओं के लिए जो नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य नहीं हैं।

सोनिया गांधी के तकरीबन 20 वर्ष के लंबे अध्यक्षीय कार्यकाल में कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो उनके पसंदीदा थे। हालांकि राहुल गांधी ने भी उसी विधि को अपनाते हुए महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को बिठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए थे। अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें डर है कि राहुल गांधी जब कभी वापस आएंगे तो कहीं वह पार्टी में बड़े पदों पर जैसे कार्य समिति के सदस्य, पार्टी के महासचिव या प्रदेश अध्यक्षों को अपनी पसंद से मनोनीत करना न शुरू कर दें। जाहिर है कि यदि कार्य समिति का चुनाव होगा तो उसमें वरिष्ठता का एक तरीके से क्रम तय हो जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति चुनने का अधिकार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 1500 सदस्यों को है जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। कांग्रेस के संविधान के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति 24 सदस्य की होनी चाहिए। जिसमें 12 सदस्यों का चुनाव होना चाहिए और 12 सदस्यों को कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है। इन 12 सदस्यों में अल्पसंख्यक, महिलाएं और कमजोर तबके के लोग होते हैं। एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव बहुत बार इस बिना पर नहीं किए जाते हैं कि उससे पार्टी में बिखराव हो सकता है और आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं। फलस्वरूप कार्य समिति ही कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर देती है कि वह समस्त 24 सदस्यों को मनोनीत कर दें, लेकिन आज पार्टी के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पार्टी के अंदर से उठती इन आवाजों का संज्ञान लेना चाहिए।

अवधेश राजपूत

झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में आशा की एक नई किरण आई है। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं। झारखंड चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व पार्टी में सबको साथ लेकर चले तो राज्यों में नतीजे बेहतर हो सकते हैं।

हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी गांधी परिवार की बहुत सक्रिय भूमिका नहीं थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों ने प्रचार में हिस्सा तो लिया था, लेकिन गठबंधन के अधिकतर काम हेमंत सोरेन के जिम्मे ही थे। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों के निर्वाह का जिम्मा वहां मौजूद कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह और दूसरे जमीनी नेताओं पर था। कामकाज की इस परिपाटी में कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली है। उम्मीद है कि यह मॉडल आने वाले समय में रहेगा और चलेगा।

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का काम यह है कि वह सबको साथ लेकर चले और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर एक स्पष्ट नीति तय करे। कार्य समिति के चुनाव होने से उसके जो सदस्य होंगे उनसे भी ऐसी आशा की जाती है कि वे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख रखेंगे। कांग्रेस के अंदर फैसला लेने का अभी जो अधिकार है वह सोनिया गांधी के पास है। उनके सलाहकारों का पार्टी के अंदर या बाहर लोकप्रियता या जनाधार जानने का कोई पैमाना नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव करने के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस दिल्ली में भी एक ऐसी रणनीति अपनाएगी जहां वह पार्टी हित को सब कुछ न मानकर भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करेगी या फिर उसकी कोई और रणनीति होगी? यह समय ही बताएगा, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि कांग्रेस जन और नेहरू-गांधी परिवार का रिश्ता बहुत दिलचस्प है। एक आम कांग्रेसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपनी तमाम शक्ति देने को तैयार है। वह उनकी बातों को मानने को भी तैयार रहता है और उनके निर्देश पर अपना सब कुछ गंवाने को तैयार रहता है। वह कुछ पाने की भी इच्छा रखता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही चाह है कि कांग्रेस सत्ता से दूर न रहे। यह मंत्र सोनिया गांधी बखूबी समझती हैं। क्या राहुल गांधी यह कर पाएंगे? कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तो आसान है, लेकिन उसके साथ इंसाफ कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो राहुल गांधी को पूरा करना है। क्या वह इसके लिए तैयार हैं? यह वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विजिटिंग फैलो हैं)

response@jagran.com

भय का भूत खड़ा करने की कोशिश

मुख्तार अब्बास नकवी

लोगों को बरगलाने का काम तब हो रहा है जब मोदी सरकार बिना धर्म-जाति देखे समावेशी सशक्तीकरण को समर्पित है

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के बाद अब एनपीआर अपडेट करने के फैसले को लेकर समाज के एक वर्ग में भय और भ्रम का जो भूत खड़ा किया जा रहा है वह झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को छिपाने की कोशिश ही है। ऐसा तब किया जा रहा है जब मोदी सरकार समावेशी सशक्तीकरण और सर्वस्पर्शी समृद्धि को समर्पित है और वह भी बिना भेदभाव, बिना धर्म-जाति देखे। उसने दो करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमें 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं। छह लाख गांवों में बिजली पहुंचाई तो 39 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक गांव थे, जहां उजाला हुआ। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया तो उसमें भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। आठ करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उसमें 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। 21 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान कर्ज दिए तो उसमें 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। इसी तरह बिजली-सड़क-पानी-शिक्षा-रोजगार-स्वरोजगार कार्यक्रमों का भरपूर फायदा भी अल्पसंख्यक समाज के गरीब-कमजोर तबके को हुआ, क्योंकि अधिकांश योजनाएं गरीबों, कमजोर तबकों के लिए ही हैं। मोदी सरकार की गरीब और कमजोर तबकों के सशक्तीकरण की योजनाओं का भरपूर फायदा अल्पसंख्यक समाज को इसलिए मिल रहा, क्योंकि आजादी के बाद वही और खासकर मुस्लिम समाज गरीबी और अशिक्षा का ज्यादा शिकार रहा। आखिर जिस प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव गरीबों को मकान दिया और उनके घरों में उजाला किया, उन्हें बेघर करने की कैसे सोच सकते हैं? ध्यान रहे कि खुद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए है और एनआरसी की 1951 से चल रही प्रक्रिया असम के अलावा कहीं और नहीं है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 24 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत के इर्द गिर्द सिमट गई है। वहां और साथ ही बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक जान बचाकर भारत भाग कर आए उन पर यहां कानून का डंडा लटक रहा था। इन्हें मानवीय सम्मान देने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया गया है। भारतीय

मुसलमानों का तो इस कानून से कोई लेना-देना ही नहीं है। यदि कोई विदेशी नागरिक, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वे नागरिकता कानून की धारा 55 के तहत ऐसा कर सकते हैं। पिछले पांच वर्षों में 500 से ज्यादा मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी भी गई है।

जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अपमान और उत्पीड़न के शिकार हैं, वहीं भारत में अल्पसंख्यक प्रगति के बराबर के हिस्सेदार-भागीदार हैं। अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक सशक्तीकरण के लिए मोदी सरकार की योजनाएं सबसे ज्यादा प्रभावी रही हैं। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न स्कॉलरशिप्स योजनाओं से गरीब, कमजोर अल्पसंख्यक समाज के रिकॉर्ड लगभग तीन करोड 20 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिनमें 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं। 2014 से अभी तक सीखो ओर कमाओ, उस्ताद, गरीब नवाज रोजगार योजना, नई मंजिल आदि के माध्यम से आठ लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। इनमें लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं। हुनर हाट के माध्यम से पिछले दो वर्षों में दो लाख 65 हजार से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों/शिल्पकारों को न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, बल्कि उन्हें देश-विदेश का बाजार भी मुहैया कराया गया। जहां संप्रग सरकार में मात्र 90 जिले अल्पसंख्यकों के विकास हेतु चुने गए थे, वहीं मोदी सरकार में इसका विस्तार कर देश के 308 जिलों में किया गया और 1300 ब्लॉकों में अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा। पिछले पांच वर्षों के दौरान 33 डिग्री कॉलेज, एक हजार 398 स्कूल भवन, 40 हजार 201 अतिरिक्त क्लास रूम, 574 हॉस्टल, 81 आइटीआइ, 50 पॉलिटेक्निक, 39,586 आंगनबाड़ी केंद्र, 398 सद्भावना मंडप, 123 आवासीय स्कूल, 570 मार्केट शेड, 104 कॉमन सर्विस सेंटर आदि सुविधाओं का निर्माण अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कराया गया है। यही सब कुछ विघटनकारी ताकतों की आंख की किरकिरी बन गया है और वे भारत की अनेकता में एकता की ताकत को कमजोर करने का ताना-बाना बुन रहे हैं।

एनआरसी की प्रक्रिया 1951 से असम में शुरू हुई, फिर 1975 में इसे आगे बढ़ाने का आंदोलन और मांग हुई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, पर मात्र असम तक सीमित है। एक अंतरिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी हुई। जिनके नाम इसमें नहीं हैं उन्हें एनआरसी सेवा केंद्रों, ट्रिब्यूनल्स आदि के जरिये सरकार मदद दे रही है। देश के अन्य भागों में एनआरसी लागू करने का कोई अधिकृत निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसे लेकर हंगामा और सियासी ड्रामा चरम पर है। मनगढंत झूठ से भरपूर कहानी बनाकर एक समाज विशेष के कंधे पर बंदूक रख कर सियासत की सांप-सीढ़ी का खेल खेला जा रहा है। अब तो जनगणना को लेकर भी भ्रम का जाल बुना जा रहा है। कुछ दल लोगों को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जनगणना या एनपीआर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भारत की मिट्टी में जन्में किसी व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, संवैधानिक, नागरिक अधिकार पर कोई सवाल या खतरा न है और न होगा। चूंकि यही हकीकत है और बाकी सब भ्रम से भरपूर फसाना इसलिए सभी को भय और भ्रम के भूत भगाने के लिए आगे आना चाहिए।

(लेखक केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दैव-साधना

मनुष्य जीने के लिए कई-कई प्रकार के साधन (जुगाड़) ढूंढ़ता रहता है। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए वह सत्य और असत्य का सहारा ही नहीं, बल्कि कितने-कितने यंत्रों-षडयंत्रों, नीतियों-कुनीतियों का सहारा लेकर अपने खास उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। मानव कृत कल्पना एवं यथार्थ का समूचा संसार छलनामय है। वह जिसको सत्य समझता है, वह नितांत असत्य, कष्ट प्रद एवं क्षरनीय है। कोई चमत्कारी शिवलिंग अथवा दुर्लभ रत्न किन्हीं अनुपयोगी वस्तुओं से ढके होने के कारण विशेष दृष्टि के अभाव में सामान्य आंखों को नहीं दिखाई देता। उसे केवल अनुपयोगी पदार्थ एवं कूड़ा भर दिखाई देता है, लेकिन एक पारखी एवं सत्य की पहचान करने वाली दृष्टि को उन पदार्थों में केवल वही दिव्य रत्न अथवा चमत्कारी शिवलिंग ही दिखाई देता है। उस संपूर्ण श्रम में उसे अथाह आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि सत्य को न देख पाने वाली आंखें उस संपूर्ण उपक्रम में दुख, पश्चाताप एवं विपरीत विचारों के सिवा कुछ भी नहीं हासिल कर पातीं।

अनाप-शनाप माध्यमों से जो धन-संपदा, भौतिक ऐश्वर्य, पद-प्रतिष्ठा एवं अस्थायी सुख आपने प्राप्त किया है वह अंत में ब्याज रूप में आपको गहन कष्ट, पीड़ा, पश्चाताप एवं सबक देने वाला है। संसार के संपूर्ण आभासित सुखों का शुभारंभ सुख से होता प्रतीत होता है, लेकिन उसका अंत गहरी पीड़ा एवं दुख में होता है। दैव साधना का मार्ग पहले-पहल कष्टप्रद एवं दुखों से परिपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन उसका अंत स्थायी आनंद के रूप में होता है। इस मार्ग का पथिक सीमित में भी असीमित आनंद पाता है एवं भौतिकता की चकाचौंध में डूबा व्यक्ति असीमित ऐश्वर्य एवं संपदा के चलते भी मुट्ठीभर आनंद बटोरने के लिए छटपटाता रह जाता है।

ईश्वर ने यह दुर्लभ मानव जीवन चालाकियों, व्यर्थ चमचागिरी एवं छद्मपूर्ण कार्यों में नष्ट करने के लिए नहीं दिया है, अपितु अपने पौरुष से दुर्लभ गुणों एवं शक्ति-साधनों का सदुपयोग कर दैव साधना के माध्यम से स्वयं एवं मानव के कल्याण के लिए दिया है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

हर घर तक जल पहुंचाने का संकल्प

देवेंद्रराज सुथार

जल प्रबंधन सूचना के अनुसार भारत में साठ करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने एवं 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं। इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 जिलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है। सामान्यतः इन्हें 'डार्क जोन' (पानी के संकट की स्थिति) कहा जाता है।

गौरतलब है कि भूजल संसाधनों का 2011 में किए गए नमूना मूल्यांकन के अनुसार भारत में 71 जिलों में से 19 में भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया है। जिसका अर्थ है कि जलाशयों की प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता से अधिक जल की निकासी की गई है। 2013 में किए गए आकलन के अनुसार जिसमें जिलों के ब्लॉकों को शामिल किया गया और पाया गया कि यहां का 31 प्रतिशत जल खारा हो गया था। जल प्रबंधन सूचना के अनुसार भारत में साठ करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अधिकांश बीमारियों का कारण दूषित जल ही है। लोगों को जो पानी पीने के लिए मिलता है वह आचमन के लायक भी नहीं रहता! पानी मात्र देखने के लिए होता है, पीने और खाने में उसकी गुणवत्ता नगण्य रहती है। पानी की कमी और प्रदूषण के अनेकों प्रत्यक्ष कारण जैसे-रसायनिक खाद, कम वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, पोखर का खात्मा, अनावश्यक खनन, अंधाधुंध फैक्ट्री का बनना आदि हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है क्या होगा जब भूजल का भंडार खत्म हो जाएगा? जल जीवन का अनिवार्य तत्व है। जल पीना जैविक आवश्यकता है तो दूसरी ओर जल स्नान, आचमन, पवित्रता की प्यास है। ध्यातव्य है कि जल एक प्राकृतिक और असीमित संसाधन है, किंतु पीने योग्य जल की मात्रा सीमित है। पृथ्वी की सतह का 71 प्रतिशत जल से ढका हुआ है, जिसका 97 प्रतिशत भाग लवणीय जल के रूप में तथा शेष तीन प्रतिशत भाग अलवणीय जल के रूप में विद्यमान है, किंतु इसका अधिकांश भाग ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में ठोसीकृत है। अतः मानव के पीने योग्य जल की मात्रा अत्याधिक सीमित है।

हमें समझना होगा कि जल संसाधन हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपदा है इन्हें खोकर हम जीवन और जैव विविधता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम जल संसाधनों का जितना बेहतर प्रबंधन करेंगे यह संसाधन उतने ही समृद्ध बनेंगे जिससे न केवल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में स्थिरता आएगी, अपितु हमारा विकास भी उतना ही समावेशी और सतत होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

एनआरसी का बेजा विरोध

असमंजस के लिए कौन जिम्मेदार शीर्षक से प्रकाशित जगदीश एस छोकर का लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है। मेरा उनसे कुछ सवाल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिखों की सहमति लिए बिना ही देश का बंटवारा कर पाकिस्तान बना दिया गया था। वे लोग तो भारतीय ही रहना चाहते थे, मगर जबर्दस्ती उन्हें पाकिस्तानी बना दिया गया। जहां के इस्लामी शासन ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रखा और इस्लामी आतंकवाद और उत्पीड़न ने उनकी जनसंख्या 30 प्रतिशत से 3 प्रतिशत कर दी। ऐसे मजहबी उत्पीड़न के शिकार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध अगर भारत न आएं तो कहां जाएं? भारत इन सभी धर्मों का मूल जन्म और निवास स्थान रहा है, और आज भी है। पूरे विश्व में हिंदू, सिख आदि का केवल एक ही मूल देश भारत है, जबकि मुसलमानों के लिए 56 देश हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमान ही आजादी से पहले के वे भारतीय मुसलमान थे जिन्हें भारत में नहीं रहना था, ये वे मुसलमान थे जिन्हें मजहब के आधार पर भारत से अलग अपना एक देश चाहिए था, अब जब उन लोगों को अपनी पसंद का देश मिल गया है तो क्यों भारतीय विपक्षी दल इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दिलाना चाहते हैं? 14 अगस्त, 1947 से सभी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमान भारतीय नागरिक थे, अगर इन्हें भारतीय नागरिकता ही चाहिए थी तो उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया? और अगर विपक्षी दलों को इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता चाहिए ही तो इन सभी को सीएए का विरोध छोड़, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपील करनी चाहिए कि ये दोनों देश, भारत में अपना विलय कर लें जिससे इनके सभी नागरिकों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी और भविष्य में एनआरसी का भी भय नहीं रहेगा।

snjagg@gmail.com

लोकगीत, संगीत व भाषा

आज की युवा पीढ़ी में अपनी स्थानीय भाषा के प्रति हीनता बोध घर कर गया है, फलस्वरूप वह अंग्रेजी भाषा के शब्दों को तो दैनंदिन भाषा में बहुतायत से प्रयोग करती है, परंतु देशज शब्दों के उपयोग से बचती है। अंग्रेजी मानसिकता के कारण लोक कला, लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य आदि से वह विमुख होती जा रही है। फलस्वरूप ये विधाएं लुप्तप्राय हो रही हैं। जबकि देशज तथा स्थानीय भाषा, संस्कृति, परंपरा, लोकगीत, लोक संगीत व स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ही है। भाषा से ज्ञान का परिमार्जन होता है तथा संस्कृति को खाद पानी उपलब्ध होता है। देशज भाषा दस-पांच- किलोमीटर पर ही परिवर्तित होती दिखती है। वस्तुतः अच्छा लोकगीत, संगीत व नृत्य तथा भाषा सबको आज भी आकर्षित करता है। फिल्मों में भी पंडित शिवकुमार शर्मा व पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने शिव-हरि के नाम से लोक गीत और संगीत को लेकर प्रयोग किए तो जनता ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। लम्हे, चांदनी, डर जैसी फिल्मों में प्रयुक्त लोकगीतों पर आज भी मन मयूर नाच उठता है। वैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शीघ्र सोच, समझ सकता है व सहज महसूस करता है। अतः जड़ों से जुड़े लोगों को इन विधाओं को सहेजना ही होगा। लोक परंपराओं में प्रकृति को सहेजने व मानवता को लाभ पहुंचाने की क्षमता होती है। ये सरल, सुलभ मनोरंजन करती हैं। देश काल व परिस्थिति के अनुसार इन विधाओं के अलग-अलग रूप रंग हैं। तथापि आज इन्हें बचाने के लिए सत् प्रयासों की आवश्यकता है।

डॉ. हेमा शर्मा, स्याना

सोच में हो राष्ट्रधर्म

दैनिक जागरण के 24 दिसंबर के अंक में हृदयनारायण दीक्षित का लेख, खत्म होता आंदोलन और अराजकता का भेद, पढ़ा। आज के आंदोलनों में अराजकता का जो छौंक लगने लगा है उसका एक ही कारण है और वो है कि हम अपने राष्ट्र धर्म को भूलकर, जाति, संप्रदाय, राजनीतिक पार्टी, परिवार हित व न जाने कितने निजी हित धर्मों को साधने में लग गए हैं। आज हमारे लिए राष्ट्रीय हित का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। हम आजादी के संघर्ष और बलिदानों को भूल गए हैं। हम तो हमेशा रोजी रोटी में ही फंसे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले 25-30 सालों से विकासशील देश की श्रेणी में ही हैं एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दै